e-Gov-18

मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक 1028 /1105/2015/41-2 भोपाल दिनांक 24 अप्रैल 2015

प्रति,

१. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
समस्त विभाग
मध्यप्रदेश।

२. समस्त विभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश शासन
मध्यप्रदेश।

३.. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-प्रदेश के नागरिकों को **डिजिटल लाकर** सुविधा का लाभ प्रदाय करने के सम्बन्ध में ।

विषयान्तर्गत आप अवगत हैं कि भारत शासन द्वारा नागरिकों के अभिलेखों के सुगम संधारण एवं प्राप्ति हेतु डिजिटल लाकर सुविधा प्रारंभ की गई है | इस सुविधा के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को शासकीय क्लाउड पर आवश्यक स्थान (Personal Storage Space) उपलब्ध होगा जिसमे वह अपने महत्वपूर्ण अभिलेख यथा शैक्षिक प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आदि की स्कैन्ड (Scanned) अथवा डिजिटल प्रति सुरक्षित रख सकेगा | इस सुविधा का लाभ लेने हेतु नागरिकों को www.digitallocker.gov.in अथवा www.digilocker.gov.in पर अपने आधार नंबर की सहायता से स्वयं पंजीयन करना होगा | उल्लेखनीय है कि पंजीयन के पूर्व नागरिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ सम्बद्ध हो चुका है | मोबाइल नंबर आधार से सम्बद्ध न होने की स्थिति में नागरकि को अपने निकटस्थ आधार स्थायी पंजीयन केन्द्र (यथा एमपीऑनलाइन कियोस्क, नागरिक सुविधा केन्द्र अथवा

अन्य एजेंसी से संपर्क करना होगा | इस सुविधा से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:-

1. पृष्ठभूमि - वर्तमान में नागरिकों को कई अवसरों पर उनके महत्वपूर्ण अभिलेखों की भौतिक प्रतियाँ प्रदाय करनी होती हैं | इन अभिलेखों के उपयुक्त संधारण के साथ साथ उनकी प्रमाणिकता की जांच भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है |
2. योजना का उद्देश्य -
   a. नागरिकों को शासकीय क्लाउड पर निर्धारित स्थान देकर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना |
   b. भौतिक अभिलेखों के प्रयोग को न्यूनतम करना |
   c. नागरिकों के अभिलेखों को उनके द्वारा ई - हस्ताक्षर कर प्रमाणिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन संधारित करने की सुविधा प्रदाय करना |
   d. ई - हस्ताक्षर के द्वारा अभिलेखों की प्रमाणिकता निर्धारित करना एवं जाली अभिलेखों से बचाव करना |
   e. शासन द्वारा नागरिकों को जारी किये जाने वाले अभिलेखों की वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों द्वारा सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना |
   f. भौतिक अभिलेखों के संधारण में होने वाले प्रशासकीय व्यय को न्यूनतम करना |
   g. नागरिकों को उनके अभिलेख 'कहीं भी' और 'कभी भी' उपलब्ध कराना |
   h. मुक्त (Open) एवं अन्तः प्रचालनीय (Interoperable) मानक आधारित संरचना का प्रयोग |
   i. नागरिकों के डाटा की गोपनीयता एवं अधिकृत व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा ही उपयोग सुनिश्चित करना |
3. सुविधा के स्टेक होल्डर - इस सुविधा का लाभ लेने वाले प्रमुखतः तीन स्टेक होल्डर होंगे :-